राज्य चिकित्सा अयुक्त कार्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
"पंचदीप भवन", भवानी सिंह मार्ग, जयपुर –302 001
दूरभाष–0141–2220743 फैक्स–0141–2222047
E-Mail. smc- rajesic@nic.in
Website- www.esicrajasthan.com
(An ISO 9001 : 2000 Certified Office)

संख्याः 15–यू–11/टाइ–अप(सु.स्पे.)/एसएमसी/09 दिनांक 17.06.2009

परिपत्र

विषयः Super Speciality Treatment के तहत टाइ–अप (Tie up) व्यवस्था बाबत।

उपर्युक्त विषय में सूचित किया जाता है कि मुख्यालय, नई दिल्ली के पत्र संख्याः V-24/11/10/04- Med-1 dated 23-03-09 के अनुसार राजस्थान क्षेत्र के कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत लाभार्थियों (Beneficiaries) के लिए निम्न विवरणानुसार प्राईवेट अस्पतालों से अति विशिष्ट उपचार/डाइग्नोस्टिक हेतु टाइ अप (Tie up) व्यवस्था दो वर्ष के लिए की गई हैः–

Sl. No.	Centre	Name of Institution/ Hospital & Address	Tie up Period	Services Provided
1	Udaipur	Geetanjali Medical Collage & Hospital, N. H. 8, By pass Road, Near Eklingpura Chauraha, Manwa Khera, Udaipur (Raj.)	01.06.2009 to 31.05.2011	Neurology, Neurosurgery, Urology, CT, MRI, Echo
2	Jaipur	Santokba Durlabhji Memorial Hospital cum Medical Research Institute, Bhawani Singh Marg, Jaipur- 302 015	04.06.2009 to 03.06.2011	Cardiology, Cardiothoracic Surgery, Cardiovascular Surgery, Super specialized Neurology, Neurosurgery, Super specialized Gastroenterology & GI Surgery Joint Replacement Surgery

इस कार्यालय के पत्र संख्याः 15/यू/11/क्षे.का./एसएमसी/08 दिनांक 29.04.2009 के द्वारा पूर्ण प्रक्रिया दर्शायी जा चुकी है, फिर भी उक्त पत्र के तारतम्य में उक्त सुविधा का लाभ लेने के लिए पुनः प्रक्रिया निम्नप्रकार से दर्शायी जा रही हैः–

1. मरीज को चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम मॉडल चिकित्सालय–जयपुर अथवा चिकित्सा अधीक्षक– कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, जोधपुर/कोटा/भीलवाडा एवं पाली द्वारा रेफर (Refer) किया जाएगा।
2. विशेषज्ञ द्वारा बीमारी एवं संबंधित सुपर स्पेशियलिटी ट्रीटमेंट/डाइग्नोस्टिक का सम्पूर्ण विवरण दिया जाना अपेक्षित है जिसके आधार पर मरीजों को चिकित्सा अधीक्षक द्वारा टाइ अप किये गये अस्पतालों एवं डाइग्नोस्टिक सेन्टर को रेफर (Refer) किया जाएगा।

3. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम/योजना द्वारा अति विशिष्ट उपचार हेतु मरीज को टाइ अप किये गये अस्पतालों एवं डाइग्नोस्टिक सेन्टर को तभी रेफर किया जा सकेगा, जब वे अति विशिष्ट उपचार हेतु पात्रता की शर्त पूरा करते हों अर्थात जिस हितलाभ अवधि मे अति विशिष्ट उपचार किया जाना है उस हितलाभ अवधि में मरीज बीमारी हितलाभ की पात्रता रखता हो।
4. संबंधित अस्पताल/डाइग्नोस्टिक सेंटर जिन पर टाइ अप व्यवस्था की गई है द्वारा मरीज से किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह व्यवस्था **राशि रहित (Cash less)** होगी।
5. मरीज के इलाज का बिल भुगतान हेतु सीधे ही संबंधित टाइ अप अस्पताल द्वारा, संबंधित चिकित्सा अधीक्षक को भेजा जाएगा।

निशा ढींगरा 7/6/18

(डा. निशा ढींगरा)
राज्य चिकित्सा आयुक्त

प्रतिलिपिः
1. अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक, क्षे.का., कराबी निगम, जयपुर को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त टाइ अप संबंधी सूचना सभी संबंधितों की जानकारी में लाने का श्रम करें।
2. संयुक्त निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उदयपुर को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त टाइ अप संबंधी सूचना सभी संबंधितों की जानकारी में लाने का श्रम करें।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, कराबी योजना, अजमेर रोड, जयपुर को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त टाइ अप संबंधी सूचना सभी बीमा चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी), कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों, राजस्थान क्षेत्र की जानकारी में लाने की व्यवस्था करें। साथ ही बीमितों/अन्य के लिए उक्त सूचना की एक प्रति औषधालय के नोटिस बोर्ड पर लगवाने बाबत सभी बीमा चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी), कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों, राजस्थान क्षेत्र को आवश्यक निर्देश जारी करें।
4. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम मॉडल चिकित्सालय–जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, कोटा/भीलवाडा/जोधपुर/पाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. उप निदेशक (प्रशासन), क्षे. का. जयपुर को उक्त परिपत्र की 20 अतिरिक्त प्रतियां इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त टाइ अप संबंधी सूचना क्षेत्रीय परिषद के सभी माननीय सदस्यों की जानकारी में लाने हेतु उन्हें प्रेषित करें।
7. उप निदेशक (वित्त), क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर।
8. सभी अधिकारी/शाखाएं, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर ।
9. सभी शाखा प्रबंधक, कराबी निगम, राजस्थान क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त विवरणानुसार की गई टाइ अप व्यवस्था की जानकारी आपके केन्द्र पर गठित स्थानीय समिति के सभी सदस्यों/ नियोजकों/एम्पलायर एसोसियशन/ट्रेड यूनियनों एवं सभी संबंधितों की जानकारी में लावे एवं बीमितों की जानकारी हेतु उक्त सूचना की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाना सुनिश्चित करें।
10. सूचना पट्ट (11) गार्ड फाईल।

राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर राज.-302001
Tel. 0141-2220743/Fax-0141-2222047
E-Mail. smc-rajesic@ nic.in
Website- www.esicrajasthan.com
(An ISO 9001 : 2000 Certified Office)

संख्या: 15—यू—11 / पीटीएमआर—नियुक्ति / एसएमसी / 08 दिनांक 13.07.2009

वर्ष 2009 का कार्यालय आदेश सं. 5

मुख्यालय के निर्देशानुसार पीटीएमआर नियुक्ति, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अन्तर्गत मुख्यालय के पत्र संख्या Pt. File No. U-13/12/13/2005-med.1/PTMR dated 09-09-08 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौपी गई शक्तियों के अधीन एवं मुख्यालय द्वारा जारी पत्र सं. यू—13 / 12 / 13 / 05 चिकि.1 / पी.टी.एम. आर. दिनांक 1.10.2008 एवं 21.10.2008 के अनुक्रम में निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर उनके नाम के आगे अंकित विवरणानुसार **दिनांक 01.07.2009 से 30.06.2010** तक एक वर्ष या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए **अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी** के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्ति प्रदान की है:—

क्र. सं.	नामित डॉक्टर का नाम व पता	केन्द्र का नाम	कर्मचारियों की संख्या	बीमितों की संख्या
1	2	3	4	5
1	**डॉ. संजय गुप्ता** जुनियर स्पेशलिस्ट (मेडिसीन) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, कमला नेहरू नगर, जोधपुर।	जोधपुर	20761	21220
		बासनी, बालोतरा, गोटन, बोरानाडा, सांगरिया, जसौल	24226	25356
2	**डॉ. (श्रीमती) एस. डी. मेठानी,** चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, बापू नगर, भीलवाडा।	भीलवाडा	34656	35419
		चित्तौडगढ	11836	12209
		निम्बाहेडा, गंगापुर	1601	1696
3	**डॉ. विजय नारायण भटनागर,** (सेवानिवृत्त वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय) 3/21, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, हनुमानगढ जंक्शन, जिला—हनुमानगढ।	हनुमानगढ	2924	3049
		श्रीगंगानगर	2873	2923

उक्त तीनों अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी अपनी सुविधा के अनुसार प्रत्येक सप्ताह 3 सत्र के लिए उपस्थित रहेंगे तथा प्रत्येक सत्र की अवधि 2.00 घंटे होगी।

क्रमशः...

मुख्यालय के पत्र सं. यू–13/12/13/05 चिकि.1/पी.टी.एम. आर. दिनांक 1.10.2008 के अनुसार क्र. सं. 1 व 2 पर वर्णित अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी जो राज्य सरकार के पूर्णकालिक चिकित्सा अधिकारी हैं, को प्रतिमाह रू. 3000/– रिमुनेरेशन (Remuneration) के रूप में देय होंगे तथा क्र. सं. 3 पर वर्णित सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी श्री विजय नारायण भटनागर को रू. 5000/– (पॉच हजार मात्र) प्रतिमाह रिमुनेरेशन (Remuneration) के रूप में देय होंगे।

उक्त वर्णित सभी अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी अपने तीनों सत्रों के लिए प्रतिमाह रूपये 100/– रिमुनेरेशन (Remuneration) पर एक अंशकालिक लिपिक रखेंगे।

क्र. सं. 1 व 2 पर वर्णित अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी बीमितों को कॉलम सं. 2 पर वर्णित पते पर देखेंगे तथा क्रम सं. 3 पर वर्णित डॉ. विजय नारायण भटनागर, बीमितों को शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई धान मंडी के अंदर, प्लाट नं. 213, हनुमानगढ जंक्शन में देखेंगे।

संबंधित शाखा प्रबंधक को इस निर्देश के साथ कि वे नामित अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी के लिए arrangement for supply of necessary and other materials E.I. extract of ESI Act, Medical Manual and LO Manual उपलब्ध करवाएगें।

(निशा ढींगरा)

(डा. निशा ढींगरा)
राज्य चिकित्सा आयुक्त

प्रतिलिपिः निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संबंधित चिकित्सा अधिकारी।
2. चिकित्सा आयुक्त (मेड–1), मुख्यालय, क.रा.बी. निगम, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली।
3. अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जयपुर।
4. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, कराबी योजना, अजमेर रोड, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, उदयपुर।
6. संयुक्त निदेशक (वित्त), क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
7. सहायक निदेशक (नकद हितलाभ शाखा), क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
8. सहायक निदेशक (पी.आर.), क्षे.का., कराबी निगम, जयपुर।
9. शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, कराबी निगम, जोधपुर/भीलवाडा/हनुमानगढ/चित्तौडगढ/श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ कि वे संबंधित अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी से उपर्युक्त वर्णित विवरणानुसार बीमितों को देखने हेतु समय निश्चित करें एवं शाखा प्रबंधक, जोधपुर/भीलवाडा/हनुमानगढ को इस अनुरोध के साथ कि वे संलग्न कार्यालय आदेश की प्रति अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी को सुपुर्द कर पावती इस कार्यालय को भेजें।
10. चिकित्सा निर्देशी, क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
11. सूचना पट्ट